प्रेस नोट

दिनाकं 17.02.2024

पुलिस भर्ती परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमण शील रहते हुए परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण कर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराया जा रहा है -

आज दिनांक 17.02.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की प्रथम पाली की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्र 01. शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज 02. सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल 03. **फखरुद्दीन** अली अहमद राजकीय इण्टर **कॉलेज 04.** श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोण्डा आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्ष, सी0सी0टी0वी0 व सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया। परीक्षा केन्द्रों पर लगे मजिस्ट्रेट, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक व पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण से वार्ता कर परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा रहा है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनाकं 17.02.2024</u>

<u>पुलिस भर्ती परीक्षा केंन्द्रों का निरीक्षण</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमण शील रहते हुए परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण कर दोनो पालियों की परीक्षा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग सम्पन्न कराया गया -</u>

आज दिनांक 17.02.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की प्रथम पाली व द्वितीय पाली की लिखित परीक्षा केन्द्र 01. शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज 02. सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल 03. **फखरुद्दीन** अली अहमद राजकीय इण्टर **कॉलेज 04.** श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोण्डा 05. राजकीय बालिका इण्टर कालेज, 06. फ़ातिमा इंटर कॉलेज आदि का निरीक्षण कर सकुशल सम्पन्न कराया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्ष, सी0सी0टी0वी0 कैमरो व सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया । परीक्षा केन्द्रों पर लगे मजिस्ट्रेट, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक व पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण से वार्ता कर परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा अपने -अपने क्षेत्रो में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जनपद गोण्डा के परीक्षा केन्द्रों व आस-पास लगातार भ्रमण शील रहकर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग किया गया । पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक व 500 से अधिक पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा जनपद गोण्डा में परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से कराने हेतु लगी थी।

महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों पर लगे CCTV कैमरों की मॉनीटरिंग हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कण्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट व पुलिस टीम द्वारा एलईडी टीवी स्क्रीन पर CCTV कैमरों(तीसरी आंख) से जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रो पर सतर्क निगरानी रखते हुए निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से आज के दोनो पालियों की परीक्षा सकुशल सम्पन्न कराया गया।

इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दिनांक 18.02.2024 को जनपद गोण्डा में 25 परीक्षा केन्द्रों पर दोनो पालियों में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराया जायेगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनाकं – 17.02.2024

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-23/2024, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवचरन को पुलिस द्वारा अथक प्रयास से आज दिनांक 17.02.2024 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.01.2024 को वादिनी ने थाना को0देहात को सूचना दिया की उसकी पुत्री के ससुरालजनों द्वारा दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में मु0अ0सं0-23/2024, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट बनाम रामप्रताप आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूर्व में 02 वांछित अभियुक्तो 01. रामप्रताप वर्मा व अभियुक्ता 02. उर्मिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 17.02.2024 को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास से वांछित अभियुक्त शिवचरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शिवचरन पुत्र रामप्रताप वर्मा निवासी खमरिया हरिवंश थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-23/2024, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पवन सिंह

02. का0 नितिन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनाकं – 17.02.2024

थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा आबकारी अधि0 के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-27/2024, धारा 60, 60(A) एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सेवानाथ उर्फ रामसेवक पुत्र राजपत मिश्रा उर्फ गयाबोध निवासी ग्राम पूरे बढ़ई मौजा घांचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को पुलिस द्वारा अथक प्रयास से आज दिनांक 17.02.2024 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.01.2024 को वादी श्री प्रमोद कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-02 तरबगंज गोण्डा ने थाना को0 तरबगंज को सूचना दिया की ग्राम घांचेपुर बढई जनपद गोण्डा में रामसेवक पुत्र राजपत मिश्रा ग्राम घांचापूरे बढई द्वारा स्प्रीत से निर्मित अवैध जहरीली शराब की विक्री किया जा रहा था जहाँ मै आबकारी निरीक्षक मय हमराही के साथ दविश दी गयी तो अभियुक्त रामसेवक फरार हो गया तथा तलाशी में उसके घर से लगभग कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 तरबगंज में मु0अ0सं0-27/2024, धारा 60, 60(A) आबकारी अधि0 बनाम रामसेवक विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.02.2024 को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास से वांछित अभियुक्त सेवानाथ उर्फ रामसेवक पुत्र राजपत मिश्रा उर्फ गयाबोध निवासी ग्राम पूरे बढ़ई मौजा घांचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सेवानाथ उर्फ रामसेवक पुत्र राजपत मिश्रा उर्फ गयाबोध निवासी ग्राम पूरे बढ़ई मौजा घांचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-27/2024, धारा 60, 60(A) आबकारी अधि0 थाना को0 तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमेश वर्मा
02. का0 अंकुर वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.02.2024, थाना छपिया,
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा फायरिंग कर हत्या करने के 02 और वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में गठित थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-36/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506, 336, 34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित 02 और नामजद आरोपी अभियुक्तों-01. दुर्गेश यादव व विकास यादव को रेलवे क्रासिंग बभनान रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.02.2024 को समय करीब 12.40 बजे थाना छपिया क्षेत्र के ग्राम महोलीखोरी में आस-पास के दो पक्षों के मध्य रास्ते में टीनशेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ और मार-पीट व फायरिंग की घटना घटित हुई थी जिसमें एक पक्ष के 06 लोग घायल हुए थे घायलों को अस्पताल ले जाते समय एक घायल महिला उम्र लगभग 60 वर्ष की रास्ते में मृत्यु हो गयी उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-36/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506, 336, 34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट बनाम गब्बर उर्फ राजू यादव आदि 09 नामजद व कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 05 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष छपिया को निर्देशित किया गया है। दिनांक 14.02.2024 को पुलिस टीमों द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत नामजद 04 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

आज दिनांक 17.02.2024 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासोपरान्त 02 और नामजद अभियुक्तो 01. दुर्गेश यादव व 02. विकास यादव को रेलवे क्रासिंग बभनान रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. दुर्गेश यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा महुलीखोरी, थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. विकास यादव पुत्र शोभाराम यादव निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा महुलीखोरी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-36/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506, 336, 34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष सत्येन्द्र वर्मा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 सुरेश यादव
03. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह
04. हे0का0 दिलीप कुमार
05. हे0का0 बृजेन्द्र यादव
06. का0 अंकुल यादव
07. का अभिषेक सिंह
08. म0का0 ममता

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.02.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 17,500-17,500/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्तों 01. दिलीप कुमार 02. सुनील कुमार को 03-03 वर्षो का कठोर कारावास व प्रत्येक को रू0 17,500/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेडछाड़ करने के आरोप में 02 अभियुक्तों 01 दिलीप कुमार 02. सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट गोण्डा द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को रू0 17,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. दिलीप कुमार पुत्र त्रिवेनी निवासी परसा महेशी थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. सुनील कुमार पुत्र त्रिवेनी निवासी परसा महेशी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-101/2019, धारा 354क, 232, 452, 504, 506 भादवि, 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।